

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 31/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 22/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 26.10.2018, का.आ.5418 (अ) दिनांक 26.10.2018 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना का तालिका के क्रम सं. 8 के स्तंभ सं. 5 म मौजूद प्रविष्टि को "अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2018-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरा (पूर्व), मुंबई
2. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
3. प्रधान/अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट को उनके पत्र सं. DRI/MZU/F/Int-55/2017/4904 दिनांक 15.07.2019 के संदर्भ मे एवं इस निवेदन के साथ कि नोटिसी को नियुक्त नए समान न्याय निणयन अधिकारी के बारे मे सूचित कर।